संख्या: 21/2018/ 781/सत्रह--म-2018-6-9(258)/2017

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 13 जुलाई 2018

विषय: अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक -2405- मछली पालन-अन्तर्गत पुनर्विनियोग प्रस्ताव के स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 56/ ले0शा0/ पुनर्विनियोग / 2018-19 दिनांक 16 मई, 2018 के साथ प्राप्त बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र जो वित्त विभाग द्वारा संशोधित /अनुमोदित है, को मूल रूप में भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य,01-वेतन मद में हो रही बचतों से लेखाशीर्षक- 2405- मछली पालन, 001- निदेशन तथा प्रशासन, 03- अधिष्ठान, 08- कार्यालय व्यय मद में कुल धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनिन्शयल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(2) शासकीय व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत योजनाओं हेतु बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक - 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 03- अनुसंधान सामान्य, 01-वेतन मद में हो रही बचतों से मद संख्या- 08- कार्यालय व्यय मद में कुल धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) उक्त मद में पुनर्विनियोग किये जाने के प्रस्ताव पर इस शर्त के अधीन कि जिस बचत के मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में प्रशासकीय विभाग द्वारा धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक - 2405- मछली पालन 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य,01- वेतन मद में हो रही बचतों से लेखाशीर्षक- 2405- मछली पालन, 001- निदेशन तथा प्रशासन, 03- अधिष्ठान, 08- कार्यालय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- यह आदेश वित्त विभाग के पुनर्विनियोग के संलग्न आदेश संख्या- आर0ई0-42/ई-1-दस-2018 दिनांक 06 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 21/2018/781(1) /सत्रह-म-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- उप निदेशक मत्स्य (मुख्यालय) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- - वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 (बी0एम0-9) की दो प्रतियों में) /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।